न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 186/2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/349

दायर दिनांक :– 08.07.2025 निर्णय दिनांक :– 17.12.2025

1. ओमप्रकाश पुत्र जवाराराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. भंवराराम पुत्र जवाराराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
3. सोनाराम पुत्र जवाराराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
4. खुशालाराम पुत्र दलाराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
5. धारूराम पुत्र दलाराम जाति मेघवाल फौत के कायम मुकाम

5/1 पप्पूराम पुत्र धारूराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
5/2 नारायणराम पुत्र धारूराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
5/3 शम्भूराम पुत्र धारूराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
5/4 कानाराम पुत्र धारूराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
5/5 लाछो पत्नी धारूराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
5/6 उर्मिला पुत्री धारूराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
5/7 सुशीला पुत्री धारूराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
5/8 रेखा पुत्री धारूराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

6. भवानाराम पुत्र दलाराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
7. कानाराम पुत्र बाबूराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
8. नेताराम पुत्र बाबूराम जरिये संरक्षक झमुदेवी पत्नी बाबूराम जाति मेघवाल निवासी बाप
9. बिरमा पुत्री बाबूराम जरिये संरक्षक झमुदेवी पत्नी बाबूराम जाति मेघवाल निवासी बाप
10. झमूदेवी पत्नी बाबूराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
11. खेमाराम पुत्र किशनाराम जरिये संरक्षक रमादेवी पत्नी किशनाराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
12. चनणाराम पुत्र किशनाराम जरिये संरक्षक रमादेवी पत्नी किशनाराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
13. नारायण पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
14. नाबालिग पनाराम पुत्र किशनाराम जरिये संरक्षक रमादेवी पत्नी किशनाराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
15. मूलाराम पुत्र किशनाराम जरिये संरक्षक रमादेवी पत्नी किशनारमा जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
16. सन्तोष पुत्री किशनाराम जरिये संरक्षक रमादेवी पत्नी किशनाराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

उप जिला मजिस्ट्रेट एवं उप खण्ड अधिकारी बाप, जिला फलोदी (राज.) सत्यमेव जयते

Satya..

उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

17. रमादेवी पत्नी किशनाराम जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
18. प्रकाश पुत्र शिवलाल जाति मेघवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रार्थीगण–

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री पप्पूराम मेघवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार, बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1217/1 रकबा 19.2064 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1217/2633 रकबा 1.7968 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1218/2 रकबा 2.9623 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1242/2825 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, प्रार्थीगण संख्या 4 ता 6 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1217 रकबा 19.2064 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1217/2631 रकबा 1.7968 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1218 रकबा 2.9623 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1242/2823 रकबा 0.0647 हैक्टेयर तथा प्रार्थीगण संख्या 7 ता 18 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1217/2 रकबा 19.2144 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1217/2632 रकबा 1.7887 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1218/1 रकबा 2.9623 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1242/2824 रकबा 0.0647 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा घटोर पटवार क्षेत्र घटोर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में प्रार्थीगण के हिस्से अनुसार राजस्व अभिलेख जमाबंदी एवं नक्शा लट्ठा में सामलाती रूप से दर्ज थी और मौके पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त चला आ रहा है। लेकिन पटवारी हल्का ने वर्तमान में सेग्रीकेशन योजना के तहत सरासर गलत तरीके से एवं बिना किसी विधिक आदेश के तथा प्रार्थीगण को सूचित किय बगैर ही नक्शा में तरमीम प्रार्थीगण के कब्जा व काश्त के विपरित कर दी जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा व काश्त संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चला आ रहा है। वर्तमान में पटवारी हल्का द्वारा की गई उक्त तरमीम बिना किसी विधिक आदेश की है। इसलिये उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त करवाकर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की जाति राजस्व अभिलेख में भाबी दर्ज है जबकि प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की सही एवं वास्तविक जाति मेघवाल है जिसे दुरूस्त करवाकर भाबी के स्थान पर मेघवाल दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रार्थी संख्या 4 का नाम कुशलाराम पुत्र दलाराम दर्ज है जबकि सही एवं वास्तविक नाम खुशालाराम पुत्र दलाराम है इसी नाम से पहचान संबंधित दस्तावेज बने हुवे है। इसलिये प्रार्थी संख्या 4 अपने नाम दर्ज भूमि में कुशलाराम पुत्र दलाराम के स्थान पर खुशालाराम पुत्र दलाराम दुरूस्त करवाने के

उप जिला मजिस्ट्रेट एवं उप खण्ड अधिकारी बाप, जिला फलोदी (राज.) सत्यमेव जयते

Satya..
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

अधिकारी है। प्रार्थीगण संख्या 7 ता 9 की सही एवं वास्तविक वल्दियत बाबूराम है जबकि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख जमाबंदी में प्रार्थीगण संख्या 7 ता 9 की गलत वल्दियत नेताराम दर्ज है। इसलिये प्रार्थीगण संख्या 7 ता 9 की गलत वल्दियत नेताराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक वल्दियत बाबूराम दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 1 सरकारी पैरोकार ने जवाब में बताया कि ग्राम घटोर पटवार क्षेत्र घटोर तहसील बाप खसरा नम्बर 1217/1 रकबा 19.2064 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1217/2633 रकबा 1.7968 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1218/2 रकबा 2.9623 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1242/2825 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1217 रकबा 19.2064 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1217/2631 रकबा 1.7968 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1218 रकबा 2.9623 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1242/2823 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1217/2 रकबा 19.2144 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1217/2632 रकबा 1.7887 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1218/1 रकबा 2.9623 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1242/2824 रकबा 0.0647 हैक्टेयर भूमि की तरमीम सेग्रीकेशन योजना के तहत की गई जो खातेदारों के कब्जा काश्त के विपरित है। नामान्तरकरण संख्या 693 की पुस्त पर कोई नक्शा अंकित नहीं है व नक्शा लट्ठा में भी तरमीम नहीं हो रखी है। प्रार्थी संख्या 4 का नाम कुशलाराम पुत्र दलाराम दर्ज है जबकि सही एवं दस्तावेजी नाम खुशालाराम पुत्र दलाराम है। प्रार्थीगण संख्या 7 ता 9 की वल्दियत उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में नेताराम दर्ज है जबकि सही एवं वास्तविक वल्दियत बाबूराम है। प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना उचित है। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

उप जिला मजिस्ट्रेट एवं उप खण्ड अधिकारी बाप, जिला फलोदी सत्यमेव जयते

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम घटोर पटवार क्षेत्र घटोर तहसील बाप खसरा नम्बर 1217/1 रकबा 19.2064 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1217/2633 रकबा 1.7968 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1218/2 रकबा 2.9623 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1242/2825 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1217 रकबा 19.2064 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1217/2631 रकबा 1.7968 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1218 रकबा 2.9623 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1242/2823 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1217/2 रकबा 19.2144 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1217/2632 रकबा 1.7887 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1218/1 रकबा 2.9623 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1242/2824 रकबा 0.0647 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट एवं तहसीलदार बाप के जवाब इत्यादि का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है परन्तु नामान्तरकरण संख्या 693 की पुस्त पर व लट्ठा नक्शा में

Saty..
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

उपरोक्त खसरान् की तरमीम अंकित नहीं है। वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी संख्या 1 ता 3 की जाति भाम्बी दर्ज है जो वर्तमान जमाबंदी से साबित है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी संख्या 4 का नाम कुशलाराम पुत्र दलाराम दर्ज है परन्तु पहचान संबंधित दस्तावेज में खुशालाराम पुत्र दलाराम दर्ज है। प्रार्थी संख्या 7 ता 9 की वल्दियत राजस्व अभिलेख में नेताराम दर्ज है परन्तु इनके आधार कार्ड में बाबूराम दर्ज है जो बाबुराम के मृत्यु प्रमाण पत्र से साबित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर एकीकरण किया जाकर प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की जाति भाबी के स्थान पर मेघवाल, प्रार्थी संख्या 4 का नाम कुशलाराम पुत्र दलाराम के स्थान पर खुशालाराम पुत्र दलाराम, प्रार्थीगण संख्या 7 ता 9 की वल्दियत नेताराम के स्थान पर बाबूराम दर्ज किया जाना उचित समझते है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है कि ग्राम घटोर पटवार क्षेत्र घटोर तहसील बाप खसरा नम्बर 1217/1 रकबा 19.2064 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1217/2633 रकबा 1.7968 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1218/2 रकबा 2.9623 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1242/2825 रकबा 0.0728 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1217 रकबा 19.2064 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1217/2631 रकबा 1.7968 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1218 रकबा 2.9623 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1242/2823 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1217/2 रकबा 19.2144 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1217/2632 रकबा 1.7887 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1218/1 रकबा 2.9623 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1242/2824 रकबा 0.0647 हैक्टेयर भूमि की तरमीम को निरस्त कर एकीकरण किया जाता है तथा प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की जाति भाबी के स्थान पर मेघवाल, प्रार्थी संख्या 4 का नाम कुशलाराम पुत्र दलाराम के स्थान पर खुशालाराम पुत्र दलाराम, प्रार्थीगण संख्या 7 ता 9 की वल्दियत नेताराम के स्थान पर बाबूराम दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार बाप को दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला मजिस्ट्रेट एवं उप खण्ड अधिकारी बाप, जिला फलोदी (राज.) सत्यमेव जयते

Satya..

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
उप खण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)